न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	76/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/76
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	15.02.2022
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	28.03.2022

1	मिश्री पि.उगमा जाट नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

:- प्रार्थी

1	लादू पि.गोपी जाट नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	गणपत पि.उगमा जाट नि.बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	उप पंजीयक आसीन्द जिला भीलवाड़ा

:-अप्रार्थीगण

उपस्थित -

वकील प्रार्थी	(1) श्री दलपतसिंह
वकील अप्रार्थीगण	(1)श्री पदमसिंह देथा ,श्री विजयकुमार टेलर, पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया गया कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में विपक्षीगण के विरूद्द प्रस्तुत कर दिया है जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर प्रार्थी के पक्ष में अवश्य ही डिक्री होगा।

(2) प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य एंव खातेदारी अधिकारों की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द में स्थित है जिसका हाल रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार विवरण निम्नानुसार है -

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
894	5450/3160	0.41

(3) उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एंव विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 अवैध रूप से बिना विभाजन कराये ही उक्त आराजियात को बेचान करने पर आमदा है तथा निर्माण कार्य करने पर आमादा है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य कोई बंटवारा नहीं होने के कारण उक्त आराजियात पर विपक्षीगण उक्त जमीन को हड़पना चाहते है। उक्त आराजियात शामलाती है। प्रार्थी बंजड़ जमीन पर ही काबिज है जबकि विपक्षीगण अच्छी जमीन पर काबिज है और विपक्षीगण उक्त आराजियात का विभाजन कराये बिना ही बेचान करने तथा निर्माण करने पर आमादा है तथा अच्छी भूमि को अपने कब्जे में लेने तथा हड़पने पर आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.03.30 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(4) उक्त वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मिट्स एंव बाउंड्स के आधार पर विभाजन नहीं होने से प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 के मध्य अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ करने में तथा घास आदि लेने व लगान आदि जमा कराने एंव काश्त करने में विवाद बना रहता है जिस पर प्रार्थी ने खाता विभाजन हेतु

सहायक कलेक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण को निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण बार-बार टालमटोल करता रहा तथा विपक्षीगण भूमि बैचान करने पर आमादा है।

(5) उक्त वर्णित आराजियात का मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में आराजियात का हक व हिस्से के अनुसार अलग-अलग-अंकन किये जाने तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होकर न्याय संगत है।

(6) अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि विपक्षीगण उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का निर्माण एंव बेचान,दान, रहन, वसीयत, बक्षीस नहीं करें तथा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण एंव रूपान्तरण नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

(7) प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अन्तरिम रूप से स्थगन जारी करने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव शपथ-पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण को राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाकर नोटिस जारी किये गये। नोटिस अप्रार्थीगण बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(8) अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पदमसिंह देथा व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयकुमार टेलर ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किये है जो मूल प्रकरण में संलग्न किये गये है।

(9) अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली किया गया है।

(10) अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मूल वाद पत्र में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने में सहमति प्रकट की है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया है कि प्रकरण में राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है तथा प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं है। अतः जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(10) बहस वकील उभय-पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी नें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजियात का विभाजन पश्चात राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक खाते कायम होने तक राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी रखना न्यायहित में आवश्यक है।

(10) वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने में सहमति प्रदान की जाने के बाद स्थगन आदेश जारी रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

(11) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है

(12) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जा[illegible] दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.03.30 15:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा